बंधुआ मज़दूरी: रिहाई के बाद पुनर्वास क्यों ज़रूरी?

समाचार-संदर्भ: 2 नवंबर 2026
प्रकाशन: 4 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और शासन
प्रिलिम्स: अनुच्छेद 21, 23, 24; बंधुआ श्रम कानून और पुनर्वास



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने **2 नवंबर 2026** को **सुरेंद्र मांझी बनाम भारत संघ** मामले में स्पष्ट किया कि बंधुआ मज़दूर को छुड़ा देना राज्य की ज़िम्मेदारी का अंत नहीं है। समय पर आर्थिक सहायता, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के बिना वह फिर शोषण में फँस सकता है। न्यायालय ने पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए देशभर में एकसमान प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए।

फैसले का केंद्रीय विचार: स्वतंत्रता तभी टिकाऊ है जब व्यक्ति के पास सम्मानपूर्वक जीने के साधन भी हों। अदालत ने तत्काल सहायता और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे को अलग प्रक्रियाएँ माना है। आवश्यक पहचान और सत्यापन पूरा होने पर केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण तत्काल सहायता रोकना उचित नहीं है।

PCSMANTRA.COM

बंधुआ मज़दूरी क्या है?

बंधुआ मज़दूरी ऐसी जबरन या आंशिक रूप से जबरन श्रम-व्यवस्था है जिसमें ऋण, अग्रिम रकम, सामाजिक प्रथा, वंशानुगत दायित्व या अन्य वैधानिक रूप से निर्धारित कारणों से व्यक्ति की काम चुनने, स्वतंत्र रूप से आने-जाने अथवा अपने श्रम के उत्पाद का उचित मूल्य पाने की स्वतंत्रता छिन जाती है। यह केवल लिखित कर्ज़-समझौते तक सीमित नहीं है। **1976 के अधिनियम की धारा 2** इसकी विस्तृत परिभाषा देती है।

गरीबी और बंधन का अंतर: हर कम आय वाला काम स्वतः बंधुआ मज़दूरी नहीं बन जाता। परंतु आर्थिक मजबूरी का उपयोग करके किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य करना, जहाँ वह काम या नियोक्ता छोड़ नहीं सकता, गंभीर अधिकार-प्रश्न है। वास्तविक स्थितियों, स्वतंत्रता पर रोक और कानून की परिभाषा की जाँच आवश्यक है।

संविधान और कानून का आधार

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी, बेगार और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम का निषेध करता है। बेगार का सामान्य अर्थ बिना पारिश्रमिक के जबरन काम लेना है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अदालत ने इसे गरिमा और प्रभावी पुनर्वास से जोड़ा।
- **अनुच्छेद 24:** चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में लगाने पर रोक लगाता है।
- **धारा 4, 5 और 6:** बंधुआ श्रम-व्यवस्था समाप्त करती हैं; उससे जुड़े समझौते निष्प्रभावी और बंधुआ ऋण चुकाने की देनदारी समाप्त होती है।
- **धारा 10 से 14:** प्रशासनिक अधिकारियों और जिला तथा उपखंड स्तर की सतर्कता समितियों की भूमिका निर्धारित करती हैं। सतर्कता समिति पहचान, पुनर्वास और कानून के पालन की निगरानी का संस्थागत माध्यम है।

मामला अदालत तक क्यों पहुँचा?

फैसले में दर्ज पृष्ठभूमि के अनुसार सुरेंद्र मांझी तथा अन्य मज़दूरों को **28 फरवरी 2019** को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के एक ईंट-भट्ठे से छुड़ाया गया था। वे बिहार से आए थे। मांझी को तत्काल आर्थिक सहायता 2022 में मिली, अर्थात बचाव के लगभग तीन वर्ष बाद। अभिलेख में 42 मुक्ति-प्रमाणपत्र धारकों में से 25 को उस समय ₹20,000 मिलने और 17 के भुगतान लंबित रहने का दावा दर्ज था। **यह पुराने मामले का तथ्य है, वर्तमान सामान्य सहायता-दर नहीं।**

उत्तर प्रदेश से जारी प्रमाणपत्रों के प्रारूप और बिहार में भुगतान की प्रक्रिया में अंतर भी सामने आया। अदालत के लिए मूल समस्या कानून का अभाव नहीं, उसके क्रियान्वयन की कमज़ोरी थी। किसी मज़दूर का अधिकार दो राज्यों के प्रशासनिक मतभेद के बीच नहीं अटकना चाहिए।

नई समय-सीमाएँ: किस चरण से गिनें?

PCSMANTRA.COM

- **शिकायत का सत्यापन:** सामान्यतः 24 घंटे के भीतर; जहाँ आवश्यक हो, उसके बाद शीघ्र बचाव।
- **मुक्ति-प्रमाणपत्र:** बंधुआ श्रम की पहचान के निर्धारण के बाद सामान्यतः 24 घंटे के भीतर। यह समय हर शिकायत मिलने से स्वतः नहीं गिना गया है।
- **तत्काल आर्थिक सहायता:** आवश्यक सत्यापन के अधीन, मुक्ति-प्रमाणपत्र जारी होने के बाद सामान्यतः सात दिन के भीतर।
- **व्यक्तिगत पुनर्वास:** बचाव से 90 दिन के भीतर व्यक्तिगत योजना तैयार करके लागू पुनर्वास उपाय शुरू किए जाएँ। इसे सभी लाभों का भुगतान 90 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा होने का आदेश न समझें।

- **शिकायत निवारण:** प्रत्येक जिले में निर्धारित अधिकारी; प्रमाणपत्र, सहायता और पुनर्वास संबंधी शिकायतों का सामान्यतः 30 दिन में समाधान।
- **अनुवर्ती निगरानी:** रिहाई के बाद कम-से-कम एक वर्ष तक सतर्कता समितियाँ पुनर्वास की समय-समय पर समीक्षा करें।

आदेश में प्रयुक्त **"सामान्यतः"** और **"आवश्यक सत्यापन के अधीन"** जैसे शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें हटाकर प्रत्येक मामले में बिना जाँच स्वतः भुगतान का दावा करना फैसले का सही अर्थ नहीं होगा।

सहायता बढ़ी है या निर्णय होना बाकी है?

अदालत ने केंद्र को **तीन महीने के भीतर प्रस्तावित संशोधनों पर उचित निर्णय** लेने को कहा है। इनमें तत्काल सहायता बढ़ाना, प्रक्रिया सरल करना, अंतरराज्यीय ज़िम्मेदारी स्पष्ट करना और लाभ में देरी पर अंतरिम जीवन-निर्वाह सहायता का प्रस्ताव शामिल है। **फैसले ने स्वयं कोई नई बढ़ी हुई सहायता-राशि लागू नहीं की।** संशोधन प्रभावी होने तक भुगतान लागू योजना के अनुसार होगा।

श्रम मंत्रालय के **2021 नाम वाले योजना-दस्तावेज़**, जो 27 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ था, में तत्काल सहायता और श्रेणी के अनुसार पुनर्वास सहायता अलग मदें थीं। उस दस्तावेज़ में तत्काल सहायता सामान्यतः ₹30,000 तक तथा पुनर्वास सहायता की ₹1 लाख, ₹2 लाख और ₹3 लाख की श्रेणियाँ थीं। यह पुराने योजना-पाठ का विवरण है; इसे 2 नवंबर के फैसले से घोषित नई राशि या हर व्यक्ति के लिए एकसमान भुगतान नहीं मानना चाहिए। वर्तमान पात्रता और देय राशि का निर्धारण लागू योजना तथा सक्षम अधिकारी के सत्यापन से होगा।

राज्यों और प्रशासन को क्या करना है?

एकसमान प्रक्रिया: 14 मई 2026 की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया, अर्थात काम करने के तय चरण और ज़िम्मेदारियाँ, देशभर में लागू करनी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने में अनुपालन करना है। केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से परामर्श करके तीन महीने में आवश्यक पूरक दिशानिर्देश जारी करने हैं। ये समय-सीमाएँ पहले से मौजूद अधिकारों को टालने की छूट नहीं देतीं।

अंतरराज्यीय समन्वय: बचाव करने वाला राज्य प्रमाणपत्र और अभिलेख समय पर भेजे; गंतव्य राज्य सत्यापन और पुनर्वास सुगम बनाए। छह महीने में नोडल अधिकारी और समन्वय व्यवस्था बननी है। भुगतान की ज़िम्मेदारी को लेकर विवाद पात्र लाभार्थी की सहायता न रोके।

डिजिटल निगरानी: नवजीवन पोर्टल पर पहचान से पुनर्वास तक अभिलेख अद्यतन रखे जाएँ। राज्यस्तरीय समिति हर महीने समीक्षा करे, खासकर एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों और सहायता में देरी की। साथ ही पीड़ित की गोपनीयता सुरक्षित रखनी है। आँकड़ों की निगरानी का अर्थ संवेदनशील पहचान सार्वजनिक करना नहीं है।

विशेष सुरक्षा: बच्चों के मामले में शिक्षा, चिकित्सा, परामर्श और बाल-संरक्षण कानूनों का पालन हो। अधिकारियों को प्रशिक्षण मिले; बकाया मज़दूरी और कानूनन देय रकम की वसूली पर कार्रवाई हो। बिना उचित कारण ज़िम्मेदारी न निभाने पर पर्यवेक्षी अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाँच करें।

PCSMANTRA.COM

17 मज़दूरों और अनुपालन पर अलग निर्देश

उत्तर प्रदेश और बिहार को संबंधित 17 मज़दूरों की सहायता की स्थिति **एक महीने में संयुक्त रूप से सत्यापित** करनी है। जो बकाया देय पाया जाए, उसे यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने में और हर हाल में आदेश से छह महीने के भीतर देना है। केंद्र को चार महीने में

अनुपालन-हलफनामा देना है; राज्यों को छह महीने की अवधि के बाद दो सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे देने हैं। मामले निगरानी के लिए लंबित हैं और सात महीने बाद सूचीबद्ध किए जाने हैं।

आगे की राह

अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए प्रमाणपत्र, बैंकिंग पहुँच, सुरक्षित आवास, कौशल, आजीविका, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ना होगा। केवल बचाव की संख्या बढ़ना सफलता का पर्याप्त माप नहीं है। बेहतर कसौटी यह होगी कि सहायता कितनी जल्दी पहुँची, स्वतंत्र आय बनी या नहीं और व्यक्ति दोबारा शोषण में तो नहीं गया।

प्रशासन की चुनौती दोहरी है: प्रक्रिया इतनी तेज़ हो कि सहायता सचमुच तत्काल मिले, और सत्यापन इतना संवेदनशील हो कि दस्तावेज़ या भाषा की बाधा से पात्र व्यक्ति बाहर न हो। यही अधिकार-आधारित कल्याण और सहकारी संघवाद का व्यावहारिक अर्थ है।

> **संबंधित विषय:** मानव तस्करी के पीड़ितों का संरक्षण और पुनर्वास अलग संदर्भ में समझने के लिए **प्रज्वाला वाद पर यह लेख पढ़ें**। दोनों मुकदमों के निर्देशों को एक न मानें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: बंधुआ श्रम-व्यवस्था (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधुआ ऋण चुकाने की देनदारी समाप्त की गई है।

कथन 2: बंधुआ श्रम की परिभाषा केवल लिखित ऋण-समझौते से उत्पन्न श्रम तक सीमित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▶ उत्तर और व्याख्या

2. बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: आवश्यक सत्यापन के अधीन तत्काल सहायता सामान्यतः मुक्ति-प्रमाणपत्र जारी होने के सात दिन के भीतर दी जानी चाहिए।

PCSMANTRA.COM

कथन 2: केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित होने से पात्र व्यक्ति की तत्काल सहायता रोकना आवश्यक है।

कथन 3: बचाव से 90 दिन के भीतर व्यक्तिगत पुनर्वास योजना और लागू उपायों की शुरुआत का निर्देश है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"बंधुआ मज़दूर की रिहाई, उसके पुनर्वास के बिना अधूरी स्वतंत्रता है।" इस कथन के संदर्भ में समयबद्ध सहायता, अंतरराज्यीय समन्वय और प्रशासनिक जवाबदेही की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

भूमिका में
अनुच्छेद 21 और 23 के आधार पर स्वतंत्रता को गरिमा तथा आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा से जोड़ें।

मुख्य भाग में
रिहाई के बाद आय और आवास के अभाव से पुनः शोषण का जोखिम समझाएँ। पहचान, प्रमाणपत्र, सात दिन की सामान्य सहायता-समयसीमा और 90 दिन में पुनर्वास उपायों की शुरुआत का अंतर स्पष्ट करें। अंतरराज्यीय अभिलेख, एकसमान प्रमाणपत्र, नोडल अधिकारी, जिला कोष, सतर्कता समितियाँ और गोपनीयता-सुरक्षित डिजिटल निगरानी की भूमिका लिखें। सहायता और आपराधिक अभियोजन को एक न मानें।

निष्कर्ष में
सफलता को बचाव-संख्या से आगे बढ़कर टिकाऊ आजीविका, समय पर लाभ और पुनः शोषण की रोकथाम से मापने का सुझाव दें।

स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट: सुरेंद्र मांझी बनाम भारत संघ, 2026 INSC 1185, 2 नवंबर 2026; विशेषतः अनुच्छेद 25-39
- इंडिया कोड: बंधुआ श्रम-व्यवस्था (उत्सादन) अधिनियम, 1976; धारा 2, 4-6 और 10-14
- श्रम और रोजगार मंत्रालय: 2021 योजना का मूल दस्तावेज़, 27 जनवरी 2022 से प्रभावी; ऐतिहासिक योजना-पाठ का संदर्भ

PCSMANTRA.COM